

उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति: एक ऐतिहासिक विश्लेषण

अभय कुमार शर्मा

शोधछात्र, शिक्षा संकाय, कमच्छा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

Paper Received On: 25 MAY 2022

Peer Reviewed On: 31 MAY 2022

Published On: 1 JUNE 2022

Abstract

19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, भारत में ब्रिटिश सरकार की अधिकांश नीतियाँ साम्राज्य विस्तार पर ही केंद्रित थीं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया था, किंतु इस शताब्दी में उन्होंने शिक्षा के विस्तार पर ध्यान देना प्रारंभ किया। इससे धीरे-धीरे कुशल अध्यापकों की मांग बढ़ी। इस मांग की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रांत की सरकारों ने नॉर्मल स्कूलों एवं कक्षाओं की स्थापना का सुझाव दिया। इन सुझावों के उपरांत 1854 ई० के डिस्पैच में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। इसके उपरांत धीरे-धीरे नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की जाने लगी। प्रस्तुत शोध-पत्र में 19वीं शताब्दी में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु बंगाल, मद्रास, मुंबई एवं नॉर्थ-वेस्टर्न और अवध प्रांतों में स्थापित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्यात्मक वृद्धि का अध्ययन किया गया है।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

भारत में अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया आधुनिक शिक्षा की देन है। इसका प्रसार उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ (मुखर्जी, 1944)। इसके प्रसार में तत्कालीन कम्पनी सरकार एवं मिशनरी संस्थाओं की प्रमुख भूमिका थी। हालांकि इस शताब्दी के प्रथम दशक में मिशनरियों को इस कार्य हेतु कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु द्वितीय दशक में इन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हुई। इनमें से एक नाम लंदन मिशनरी सोसायटी का है, जो चिनसुरा एवं विशाखापट्टनम में सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। इसके द्वारा 1815 ई० के प्रारम्भ में 20 स्कूलों का संचालन किया जा रहा था, जो 1817 ई० तक बढ़कर 36 हो गई थी (नुरुल्लाह एवं नायक, 1943, पृ० 54; रिक्टर, 1908, पृ० 154)। इसी दौरान बंगाल में चर्च मिशनरी सोसाइटी ने अपने कार्यों हेतु मिराजपुर को केंद्र बनाया और यहाँ पर अपने विस्तार के साथ ही साथ उनके द्वारा कई स्कूलों का निर्माण भी किया गया (पृ० 91; 157)। इस समय जहाँ एक ओर मिशनरी संस्थाएं प्रारम्भिक स्कूलों की स्थापना में लगी हुई थीं, वहीं दूसरी ओर कंपनी के कुछ उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1813 ई० में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित आज्ञा

पत्र में कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रतिवर्ष एक लाख रु० व्यय करने की सिफारिश की गई (शार्प, 1920, पृ० 22)। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत में स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी के अधिकारियों द्वारा स्कूलों एवं कालेजों की स्थापना की जाने लगी, किंतु कुछ प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा हस्तक्षेप करने के उपरांत अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु भी स्कूलों की स्थापना की गई (नुरुल्लाह एवं नायक, 1943, पृ० 75)। धीरे-धीरे स्थानीय शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इसका प्रमाण 1835 ई० में मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र से प्राप्त होता है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर अत्यधिक बल दिया गया था। इसके पारित होने के उपरांत अंग्रेजी स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। अब इन स्कूलों में कुशल एवं प्रशिक्षित अध्यापकों के आपूर्ति की अत्यधिक मांग उत्पन्न हुई, जिसे कंपनी के अधिकारियों द्वारा विगत कुछ वर्षों से महसूस किया जा रहा था। इस सन्दर्भ में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से सिफारिशों की गईं, जिसके फलस्वरूप अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं की स्थापना का मार्ग खुलता गया।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर प्रस्तुत शोध पत्र में 19वीं शताब्दी में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एवं नॉर्थ-वेस्टर्न और अवध प्रांतों में स्थापित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्यात्मक वृद्धि का विश्लेषण किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक अध्ययन विधि का प्रयोग करते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन किया गया है। इन अध्ययनों के आधार पर जो विश्लेषण किया गया है, उसे निम्नलिखित शीर्षक एवं उपशीर्षको के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

19वीं शताब्दी में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एवं नॉर्थ-वेस्टर्न और अवध प्रांतों में स्थापित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्यात्मक वृद्धि का विश्लेषण

19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों अथवा कक्षाओं को स्थापित करने की आवश्यकता शिक्षा के विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे उत्पन्न हुई। इस दौरान 1826 ई० में सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में (शार्प, 1920, पृ० 74) एवं 1845 ई० में मुंबई के एलफिंस्टन संस्थान में एक नॉर्मल स्कूल स्थापित करने की संस्तुति की गई (रिचे, 1922, पृ० 164-165) थी और 1847 ई० में बंगाल में एक नॉर्मल स्कूल खोला गया था (पृ० 68)। इन सभी प्रयासों ने आने वाले समय में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं की स्थापना में एक आधार का कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप 1854 ई० के डिस्पैच में इस दिशा में विशेष रूप से सुझाव प्रस्तुत किए गए। इसके बाद भारत के विभिन्न प्रांतों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नार्मल स्कूलों की स्थापना की जाने लगी। इस संदर्भ में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एवं उत्तर-पश्चिमी और अवध प्रांतों में स्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तृत विवरण अगले उपखंडों में प्रस्तुत किया गया है।

1.1. बंगाल प्रान्त में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

वर्ष 1855 ई० में बंगाल प्रान्त में शिक्षा के अधिक्षण एवं निरीक्षण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभाग की स्थापना के बाद 1856-57 ई० में बंगाल प्रांत के वर्नाकुलर स्कूलों में हुई

तीव्र वृद्धि को देखते हुए इस विभाग ने यह निर्णय लिया कि इन वर्नाकुलर स्कूलों में सुधार लाने के लिए योग्य अध्यापकों के एक समूह को प्रशिक्षित करना होगा। डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए इस निर्णय को कुछ विलम्ब से लागू किया गया और इस वर्ष के अन्त तक चार नार्मल स्कूल स्थापित किए गए (बंगाल एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 17)।

वर्ष 1862-63 ई० तक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कुल सात नॉर्मल स्कूल स्थापित किये गये थे, जो बढ़कर वर्ष 1870-71 ई० में 29 हो गये, जिसमें से कलकत्ता और ढाका स्थित दो नॉर्मल स्कूल महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु थे। इसके अतिरिक्त पुरुषों के लिए चार तथा महिलाओं के लिए तीन सहायता प्राप्त नार्मल स्कूल भी थे। अब तक स्थापित सभी 29 सरकारी नॉर्मल स्कूलों में से आठ नॉर्मल स्कूल ऐसे थे जो प्रारम्भिक शिक्षा के नॉर्मल स्कूल प्रणाली के अन्तर्गत स्थापित थे। पटना; खासी हिल्स, चैरापूंजी और रंगामटिया, चितगांव हिल्स ट्रैक्ट्स स्थित ये तीनों नॉर्मल स्कूल अंग्रेजी के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु, आठ नॉर्मल स्कूल उच्च वर्नाकुलर अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एवं अन्य आठ नॉर्मल स्कूल निम्न वर्नाकुलर अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए थे (पृ० 30)। इस दौरान 1859 ई० के डिस्पैच में निहित निर्देशों के अनुसार, अंग्रेजी कक्षाओं को उच्च श्रेणी के नॉर्मल स्कूलों के साथ जोड़ दिया गया, जो कि अध्यापकों के प्रत्येक वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक थी। किन्तु इन कक्षाओं को जल्द ही बंद कर दिया गया (पृ० 31)।

वर्ष 1870-71 ई० तक सरकारी अथवा सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूल चाहे वे पुरुषों के प्रशिक्षण हेतु या महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु स्थापित की गई हों उनकी कुल संख्या 41 थी, जो वर्ष 1880-81 ई० में घटकर मात्र 21 रह गई। इनमें से 15 सरकारी एवं शेष छः सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूल थे। 1873-74 ई० के दौरान इन नॉर्मल स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी नॉर्मल स्कूल और कक्षाएं बढ़कर 58 हो गईं और सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूलों की संख्या 11 हो गई। यह इस समय तक की सर्वाधिक संख्या थी, इसके बाद से इनकी संख्या में लगातार कमी आई। नॉर्मल स्कूलों की संख्या में आई इस वृद्धि का कारण, सर जॉर्ज कैंपबेल द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनायी गई योजना थी। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण एक अनिवार्य तत्व था। इस हेतु जिला प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया गया, लेकिन इसका पाठ्यक्रम बहुत ही छोटा एवं निम्न स्तर का था (पृ० 49)।

इस प्रान्त के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्वयं से नॉर्मल स्कूलों में प्रशिक्षण हेतु लाने के लिए विभिन्न समयों पर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला और इन प्रयासों को जारी रखना छोड़ दिया गया, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में इसे जारी रखा गया। इस कारण पिछड़े जिलों में, प्राथमिक विद्यालयों हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए नॉर्मल स्कूल

एवं डिपार्टमेंट स्थित थे, जिनकी संख्या 14 थी। इसमें से दस सरकारी और चार सहायता प्राप्त संस्थाएं थीं। 31 मार्च 1882 ई० को इन संस्थाओं अथवा स्कूलों में कुल 583 छात्र थे। ये सरकारी नॉर्मल स्कूल जलपाईगुडी, चिबास, पुरुलिया, राँची, मोतिहारी, पालामऊ, बालासोर, पुरी, कटक और रंगपुर नामक स्थान पर स्थित थे। सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूल मिदनापुर, किशनगंज, राँची और दार्जिलिंग में स्थित थे। वर्ष 1881-82 में इन स्कूलों में कुल 193 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इन स्कूलों में पढ़ाई का कोर्स छः माह से एक वर्ष तक का होता था, तथा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का कोर्स डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता था (पृ० 79,80)।

इस प्रान्त के बिहार डिविजन में, अब तक मिडिल स्कूलों के लिए अंग्रेजी के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केवल पटना नॉर्मल स्कूल का अंग्रेजी डिपार्टमेंट ही था। बंगाल और अन्य जगहों पर अंग्रेजी के शिक्षकों की आपूर्ति सामान्य कालेजों और हाई स्कूल द्वारा बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के ही की जाती थी। इस दौरान बंगाल और बिहार के साथ ही साथ उड़ीसा और छोटा नागपुर में भी नॉर्मल स्कूल खोले गये, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता था। इन सभी नॉर्मल स्कूलों के लिए एक सार्वजनिक 'वर्नाकुलर मास्टरशिप' परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिसके आधार पर तीन ग्रेड के प्रमाण पत्र दिए जाते थे। 31 मार्च 1882 ई० तक इस प्रकार के नॉर्मल स्कूलों की संख्या आठ थी। ये सभी आठों नॉर्मल स्कूल हुगली, कलकत्ता, ढाका, रंगपुर, चितगांव, पटना, राँची और कटक में स्थित थे (पृ० 85)। इस प्रकार अब तक इस प्रांत में सभी प्रकार के नॉर्मल स्कूलों की कुल संख्या 22 थी।

वर्ष 1881-82 ई० तक इस प्रान्त में महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु दो सरकारी नॉर्मल स्कूल कलकत्ता और ढाका में संचालित हो रहे थे। इसके अतिरिक्त चार अन्य नॉर्मल स्कूलों का संचालन मिशनरी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त बेथुन स्कूल, कलकत्ता में कुछ वर्षों तक महिला अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। वर्ष 1868 ई० में इस स्कूल में श्रीमति कारपेन्टर के निर्देशानुसार यह कार्य प्रारम्भ हुआ था, लेकिन वर्ष 1872 ई० में सर जार्ज कैम्पबेल के आदेश पर बन्द कर दिया गया (पृ० 110)।

1.2. मद्रास प्रान्त में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

वर्ष 1855-56 ई० के दौरान मद्रास सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिनमें से एक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सरकारी नॉर्मल स्कूल की स्थापना भी थी (सत्थिअनाधन, 1894, पृ० 46)। इससे पूर्व तक इस प्रान्त में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रयास नहीं किया गया था। इस दिशा में अब तक जो भी प्रयास किए गए थे, वे सब मिशनरी संस्थाओं द्वारा किए गए थे। जिसमें से एक 1853 ई० में ईसाई मिशनरी द्वारा स्थापित संस्था थी, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों ही प्रकार के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता था। इस संस्था को सरकार द्वारा लगभग 5000 रु० का अनुदान भी प्राप्त हुआ था

(मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 7), किन्तु यह पूर्णतः विफल रहा (सत्थिअनाधन, 1894, पृ० 46)। इससे भी पहले वर्ष 1848 ई० में धर्म-शिक्षकों एवं स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मद्रास में सुलीवांस गार्डेस सेमिनरी खोला गया था और 1836 ई० में पालमकोट में भी अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एक संस्था प्रारम्भ की गई थी (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 8)। लेकिन वर्ष 1856 ई० में खोला गया सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, प्रथम सरकारी नॉर्मल स्कूल था जो बाद में टीचर्स कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। इस सरकारी नॉर्मल स्कूल को स्थापित करने का दो उद्देश्य था-

- 1) एंग्लोवर्नाकुलर स्कूलों में रोजगार हेतु योग्य अध्यापकों को उपलब्ध कराना और
- 2) एलीमेंट्री वर्नाकुलर ट्रेनिंग स्कूलों का प्रभार ग्रहण करने के लिए योग्य अध्यापकों को उपलब्ध कराना।

इस नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शिक्षण की कला और विषय, जिसे भविष्य के अध्यापक पढ़ायेंगे दोनों का ही ज्ञान प्रदान किया जाता था तथा निर्देशन हेतु अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता था(पृ० 48)।

वर्ष 1855 से 1859 ई० के मध्य स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इस कारण सरकारी एवं निजी सभी प्रकार के विद्यालयों में योग्य अध्यापकों की जबरदस्त मांग बढ़ी और केवल मद्रास सरकारी नॉर्मल स्कूल द्वारा इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कर पाना सम्भव नहीं रह गया था। इसी दौरान अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की आपूर्ति के लिए एक नई शुरुआत की गई। वर्ष 1856 ई० में पालमकोट में चर्च मिशनरी द्वारा एक वर्नाकुलर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी, और सवयेरपुरम और वेदियारपुरम नामक स्थानों पर अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल कक्षाओं की स्थापना की गई थी (पृ० 56)।

वर्ष 1858 ई० तक इस प्रान्त के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और नॉर्मल स्कूलों एवं कक्षाओं की स्थापना के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस वर्ष 18 मार्च को तंजौर जिला के मायावरम, कोयम्बटूर जिला के चेयूर और उत्तरी आरकोट जिला के वेल्तूर नामक स्थानों पर नॉर्मल स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किया गया। बाद में मंगलौर, बेरहामपुर और एल्लौर में भी नॉर्मल स्कूलों एवं कक्षाओं की स्थापना की गई, साथ ही मिशनरी संस्थाओं ने भी इन इलाकों में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की (पृ० 264)।

वर्ष 1870-71 ई० तक, इस प्रांत में पुरुष अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कुल आठ सरकारी नार्मल स्कूल थे, और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एक सरकारी नार्मल स्कूल था। इनके अतिरिक्त पुरुष अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु पांच और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एक निजी संस्था भी थी। ये सभी प्रशिक्षण संस्थाएं मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती थीं (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 19; सत्थिअनाधन 1894 पृ० 73)।

वर्ष 1880-81 तक अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कुल 26 नॉर्मल स्कूल थे, जिसमें से 12 नॉर्मल स्कूलों का प्रबन्धन सीधे सरकार द्वारा और 11 नॉर्मल स्कूलों का प्रबन्धन लोकल बोर्ड द्वारा एवं शेष तीन सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते थे (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 39; सत्थिअनाधन 1894 पृ० 265)। इनमें से एक नॉर्मल स्कूल मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित करने के लिए था (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 59)। वर्ष 1880-81 ई० में लोकल फण्ड नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर इतना अधिक जोर दिया गया कि इनकी संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होती गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी नॉर्मल स्कूलों की संख्या में कमी आई और वर्ष 1889-90 तक मात्र चार सरकारी स्कूल थे, जबकि लोकल बोर्ड और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या क्रमशः 39 और 9 थी। इस दौरान लोकल बोर्ड द्वारा उदारता पूर्वक सहायता प्रदान की गई जिससे कि वे अपने नॉर्मल स्कूलों का संचालन कर सकें और यही कारण था कि निजी संस्थाएं भी चल रही थीं। 27 जुलाई 1891 को सरकार द्वारा एक आदेश (जी० ओ०, संख्या 5,607) पारित किया गया जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 1892 से त्रिन्नवेल्ली और मदुरा के अतिरिक्त अन्य सभी लोकल बोर्ड द्वारा संचालित नॉर्मल स्कूलों को विभागीय प्रबंधन (डिपार्टमेण्टल मैनेजमेण्ट) के अंतर्गत लाया गया। प्रबंधन में आए इस बदलाव ने प्रशिक्षण स्कूलों में काफी हद तक सुधार लाया। इससे इन संस्थाओं की श्रेणी में सुधार हुआ, जो सरकारी संस्थाओं के ही समान था (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 39; सत्थिअनाधन 1894 पृ० 265)।

वर्ष 1892-93 के अन्त तक मद्रास प्रान्त में, विशेष रूप से अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु कुल 54 ट्रेनिंग स्कूल थे। जिसमें से 30 विभागीय प्रबन्धन के अंतर्गत, 16 बोर्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत और शेष आठ निजी प्रबंधन के अंतर्गत थे। जिसमें से सात सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करते थे, जहां 1,416 छात्र प्रशिक्षण शिक्षा प्राप्त कर रहे थे (सत्थिअनाधन, 1894, पृ० 265)।

वर्ष 1870 ई० तक इस प्रान्त में महिला अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सरकारी महिला नॉर्मल स्कूल की स्थापना हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था, हालांकि वर्ष 1868 ई० में भारत सरकार द्वारा प्रयोग के तौर पर तीन प्रान्तीय शहरों में सरकारी महिला नॉर्मल स्कूल को सहायता प्रदान किया गया था। इस दिशा में औपचारिक रूप से दिसम्बर 1870 ई० में सरकारी महिला नॉर्मल स्कूल स्थापित किया गया। (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 25; सत्थिअनाधन, 1894, पृ० 73)।

वर्ष 1880-81 ई० तक महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु मद्रास में मात्र तीन प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं, जो निम्नलिखित हैं-

- गवर्नमेंट फीमेल नॉर्मल स्कूल, मद्रास
- क्रिश्चियन फीमेल नॉर्मल स्कूल, मद्रास और

- द साराह टक्कर फीमेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन, पालमकोट

बाद के दोनो संस्थाओं की स्थापना मिशनरियों द्वारा विशेष रूप से स्थानीय अध्यापकों के लिए की गई थी(सत्थिअनाधन, 1894, पृ० 267)। इसी वर्ष द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्थानीय लोगों के विचारों में लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में आए क्रमिक परिवर्तन को देखते हुए अपने रिपोर्ट में यह विश्वास व्यक्त किया कि महिला शिक्षा में प्रगति लाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए नॉर्मल स्कूलों एवं सरकारी संस्थाओं की स्थापना की जाए। इसमें उन्होंने यह भी कहा गया कि इस दिशा में कई मिशनरी संस्थाओं द्वारा पर्याप्त कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा किए जाने वाले ये सभी प्रयास स्थानीय मांग की तुलना में थोड़े ही अधिक हैं और जहाँ तक सरकार का सवाल है उनका प्रयास मात्र मद्रास जिले तक ही सीमित है। यदि इस देश में महिला शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी तेज विकास करना है तो इसे सरकारी संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है (मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 53)। वर्ष 1881-82 में महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्राप्त नार्मल स्कूलों की संख्या बढ़कर तीन हो गई। इस प्रकार 31 मार्च 1882 ई० तक मद्रास प्रान्त में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु कुल चार नार्मल स्कूल थे, चैथा नॉर्मल स्कूल एस० पी० जी० फीमेल नॉर्मल स्कूल था। इसी वर्ष के अन्त तक मद्रास के नेपियर पार्क नामक स्थान पर एक मिशनरी संस्था चर्च ऑफ इंग्लैण्ड द्वारा जनाना मिशन नार्मल स्कूल भी खोला जा चुका था। वर्ष 1892-93 के अन्त तक महिला अध्यापकों हेतु इस प्रान्त में कुल 17 प्रशिक्षण स्कूल खोले जा चुके थे। इनमें से चार सरकार द्वारा प्रबंधित थे, जो निम्नलिखित हैं –

- द प्रेसिडेन्सी ट्रेनिंग स्कूल फॉर मिस्ट्रेसेज, कोयम्बदूर
- द होबर्ट मुहम्मडन ट्रेनिंग स्कूल, कोयम्बदूर
- द ट्रेनिंग स्कूल फॉर मिस्ट्रेसेज, कोयम्बदूर और
- द मोयन ट्रेनिंग स्कूल, कालीकट;

शेष 13 संस्थाएं सहायता प्राप्त संस्थाएं थीं, जो मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित थीं (सत्थिअनाधन, 1894, पृ० 267)।

1.3. बॉम्बे प्रान्त में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

वर्ष 1855 ई० में, बॉम्बे सरकार द्वारा शिक्षा के अधिक्षण एवं निरीक्षण के लिए 'डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन' नामक विभाग का गठन किया गया। इस विभाग के प्रथम डायरेक्टर के रूप में बॉम्बे सिविल सर्विस के मि० सी०जे० एर्सकिन को नियुक्त किया गया (बॉम्बे एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ०15)। अपनी नियुक्ति के बाद मि० एर्सकिन ने वर्नाकुलर स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया। इनके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि

प्रत्येक तालुका से चयनित युवाओं को प्रशिक्षु-अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन्हे पड़ोस के स्कूलों में कार्यरत योग्य अध्यापकों के निरीक्षण में तीन वर्ष के लिए प्रशिक्षित किया जाए, साथ ही वजीफा के रूप में तीन से पाँच रु० दिए जायें। अपने अप्रेंटिसशिप की पूर्ण अवधि सफलतापूर्वक पास करने पर उन्हें छः रु० वजीफा देकर एक अन्य कोर्स के लिए जिला प्रशिक्षण कॉलेज भेजा जाए, जहाँ से वे वापस अपने तालुका के स्कूलों में एक प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जायें। इसके लिए मि० एर्सकिन ने प्रशिक्षण कालेजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। 1856 ई० में मि० एर्सकिन ने अपना स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण, इस विभाग से त्याग-पत्र दे दिया (पृ० 17)।

मि० एर्सकिन द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन विभाग के अगले डायरेक्टर मि० ई० आई० हावर्ड बनाये गये, जो अगले नौ वर्षों तक कार्यरत रहे। इनके कार्यकाल के दौरान इस प्रान्त के पूना, अहमदाबाद, राजकोट, बेलगाम, हैदराबाद (सिंद डिविजन) और सुकुर नामक स्थानों पर ट्रेनिंग स्कूल सक्रिय थे। मि० हावर्ड ने अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु यह प्रस्ताव दिया था कि बम्बई प्रान्त के प्रत्येक जिला में एक प्रशिक्षण स्कूल या क्लास की स्थापना की जाए जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों को अपने घर से दूर न जाना पड़े। लेकिन इस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका और यह मि० एर्सकिन द्वारा सुझाए गये छात्र-अध्यापक प्रणाली के अभी तक अपूर्णरूप से विकसित होने का एक कारण रहा (पृ० 30)।

वर्ष 1865 ई० में मि० हावर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके बाद डायरेक्टर के रूप में सर एलेक्जेंडर ग्राण्ट नियुक्त हुए, जो वर्ष 1868 ई० तक इस पद पर बने रहे। सर ए० ग्राण्ट के बाद मि० सी० एस० पील डायरेक्टर नियुक्त किये गये। सर ग्राण्ट एवं मि० पील दोनों के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र एवं व्यवस्थित विकास हुआ। वर्ष 1868 ई० में मि० पील महोदय ने यह देखा कि सेस्-स्कूलों में अध्यापकों की आपूर्ति तीव्र गति से नहीं हो रही थी और बहुत से अप्रशिक्षित और अर्द्ध-प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया गया था। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए थे, ऐसे उम्मीदवारों की गुणवत्ता की भी शिकायत की गई थी। उनमें से अधिकांश या तो बहुत ही युवा थे या बहुत अधिक वृद्ध और प्राथमिक स्कूलों में बेहतर योग्यता के लिए सीधे पुरस्कार के भुगतान के निश्चित पैमानों से विलेज स्कूलमास्टरशिप सही व्यक्तियों को आकर्षित करने में असफल रहा। ऐसे में मि० पील ने अध्यापकों की आपूर्ति के लिए पूरी प्रणाली को फिर से व्यवस्थित किया। नई व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार जो 15 वर्ष में विद्यालय छोड़ते थे, उन्हें वर्नाकुलर स्कूल के एक योग्य मास्टर के साथ प्रशिक्षु-अध्यापक के रूप में जोड़ दिया जाता था। दो वर्ष का अप्रेंटिसशिप पूरा करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण कॉलेज में भेज दिया जाता था, जहाँ पर वे एक वर्ष गुजारने के बाद यदि उपयुक्त पाए

गए तो एक या दो वर्ष का व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इसके पश्चात वे एक निश्चित वेतनमान पर अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाते थे(पृ० 38)। वर्ष 1871 से 1881ई० के मध्य बाम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हैदराबाद, अहमदाबाद, पूना और धारवाड़ सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज थे। इसके अतिरिक्त अहमदनगर में निजी संस्था द्वारा संचालित एवं राजकोट तथा कोल्हापुर में स्थानीय सरकार द्वारा संचालित ट्रेनिंग कॉलेज थे(पृ० 98-99)।

इस प्रान्त में महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं थी। इसकी एक वजह महिलाओं का अन्य स्थानों पर जा कर अध्यापन करने में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं थीं। ऐसी महिलाएं जो अविवाहित अथवा विधवा थीं वे ही इस क्षेत्र में कार्य कर रही थीं, लेकिन उनकी संख्या भी गिनी-चुनी ही थी। महिला अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं- हैदराबाद(सिन्द), पूना और अहमदाबाद में थीं। वर्ष 1881-82 ई० तक हैदराबाद स्थित प्रशिक्षण संस्थान बन्द हो गया था(पृ०158-159)।

1.4. नार्थ-वेस्टर्न और अवध प्रान्त में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान

नार्थ-वेस्टर्न प्रान्त 1834 ई० तक बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। 1840 ई० में, शिक्षा का नियंत्रण बंगाल सरकार से नार्थ-वेस्टर्न प्रान्त के सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रान्त के प्रथम लेफ्टीनेंट गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क थे। इन्होंने 1843 ई० में मातृभाषा के महत्व को समझते हुए स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित किया (दत्त,1957, पृ०140)। इनके द्वारा किये गये कार्यों के परिणाम स्वरूप 1854 ई० तक हल्काबंदी और तहसीली स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इस समय तक नार्थ-वेस्टर्न प्रान्त में नार्मल स्कूल की स्थापना नहीं हुई थी। हालांकि इसके पूर्व 1852 ई० में हल्काबंदी और तहसीली स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आगरा में सेंट्रल तहसीली स्कूल नाम से एक प्रयास किया गया था, किंतु 1855 ई० में इस प्रांत में एक नार्मल स्कूल की स्थापना की गई, जिसके कर्मचारियों का मासिक खर्च 250 रु० और 100 हल्काबंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अलग से 400रु० था। इसमें प्रशिक्षण हेतु 4 माह का कोर्स हुआ करता था। वर्ष 1856 और 1857 ई० में क्रमशः मेरठ और बनारस में नार्मल स्कूलों को खोला गया। इन स्कूलों का काम-काज 1857 ई० की क्रांति के समय अवरुद्ध रहा किन्तु 1858 ई० में पुनः प्रारम्भ हो गया(नार्थ-वेस्टर्न एवं अवध एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट, 1884, पृ० 26)।

अवध में नार्मल स्कूलों की स्थापना का कार्य कुछ विलम्ब से आरम्भ हुआ। इस प्रान्त का पहला नार्मल स्कूल वर्ष 1864 ई० में स्थापित किया गया। इसमें दो अलग-अलग विभागों, पहला सीनियर तथा दूसरा जूनियर डिपार्टमेंट को शामिल किया गया था। इसमें पहले तहसीली या शहरी

स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार किए जाते थे लेकिन बाद में ग्रामीण स्कूलों के निम्न कक्षाओं के लिए भी अध्यापकों को तैयार किया जाने लगा(पृ० 26)।

वर्ष 1871 से 1881 के दौरान नॉर्थ-वेस्टर्न प्रान्त के नॉर्मल स्कूलों में प्रगति स्थिर थी। वर्ष 1871-72 ई० में नार्थ वेस्टर्न प्रान्त में कुल 12 नॉर्मल स्कूल थे, जिसमें से सात सरकारी एवं पाँच सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूल थे। इनमें से कुल छः (चार सरकारी एवं दो सहायता प्राप्त) पुरुष अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एवं शेष छः (तीन सरकारी एवं तीन सहायता प्राप्त) महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु थे। वर्ष 1874-75 ई० में सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूलों की संख्या में कमी आई, और अब कुल नॉर्मल स्कूलों की संख्या 12 से घट कर नौ रह गई। इस समय सरकारी नॉर्मल स्कूलों की संख्या आठ (चार पुरुषों एवं चार महिलाओं हेतु) एवं शेष एक सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु था। इस दौरान परीक्षा और प्रमाण पत्र देने की प्रणाली में संशोधन और एकीकरण किया गया, जिसके अन्तर्गत पूर्व में कुछ विद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले तीन प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स अथवा कुछ अन्य विद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले चार प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स के स्थान पर अब केवल दो प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स को अपनाया गया। इनमें से एक सर्टिफिकेट कोर्स माध्यमिक और दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए थी (पेज 69-71)। वर्ष 1875 ई० में ऐसे सभी अध्यापक जो मिडिल एवं लोअर स्कूलों में कार्यरत थे और सर्टिफिकेट धारक नहीं थे उनके लिए पहली बार नॉर्मल स्कूलों की परीक्षा के साथ एक सामान्य परीक्षा का आयोजन किया गया। विषय और प्रश्न समान थे किन्तु मानक काफी कम था। वर्ष 1877-78 ई० तक सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूलों के साथ ही साथ सरकारी महिला नॉर्मल स्कूलों की संख्या में भी कमी आई। अब इस प्रान्त में केवल चार नॉर्मल स्कूल रह गये, जिसमें से तीन सरकारी एवं एक सहायता प्राप्त, जो कि महिलाओं के लिए एकमात्र नॉर्मल स्कूल था(पृ०69)।

वर्ष 1871-72 ई० के दौरान अवध प्रान्त में कुल पाँच सरकारी नॉर्मल स्कूल थे, जिसमें से एक पुरुषों के लिए एवं शेष चार महिलाओं के लिए था। इस प्रान्त में भी नॉर्मल स्कूलों की संख्या में लगातार कमी आई और वर्ष 1874-75 में चार (एक पुरुषों के लिए एवं तीन महिलाओं के लिए) नॉर्मल स्कूल थे। वर्ष 1876 ई० में लखनऊ नॉर्मल स्कूल बन्द कर दिया गया और ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक वैकल्पिक विधि को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत अध्यापकों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए नॉर्मल स्कूल के बजाय वर्नाकुलर मिडिल स्कूल का चयन किया गया। यदि वे परीक्षा में पास होते थे तो उन्हें अगले वर्ष एक छोटे स्टाइपेण्ड राशि के साथ अप्रेंटिसशिप हेतु अनुभव प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता था। तीसरे वर्ष वह अपनी जिम्मेदारी पर प्रोबेशनरी स्कूल मास्टर के रूप में कार्य करता था, यदि वहाँ पर वह संतुष्टि पूर्ण कार्य को दर्शाता था तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाता था। वर्ष 1877-78 ई० तक इस प्रान्त के सभी नॉर्मल

स्कूलों को बन्द कर दिया गया। अब नॉर्मल स्कूलों के स्थान पर नॉर्मल तहसील स्कूलों की स्थापना का प्रावधान किया गया और कुछ तहसीली स्कूलों के साथ नॉर्मल कक्षाओं को जोड़ दिया गया। इस प्रकार के नॉर्मल तहसीली स्कूलों की संख्या 15 थी, जिसमें से 11 पुरुषों के लिए एवं चार महिलाओं के लिए थी(पृ० 69-71)

नार्थ-वेस्टर्न एवं अवध प्रान्त के एकीकरण के पश्चात् वर्ष 1880-81 में, इस संयुक्त प्रान्त में कुल 22 नॉर्मल स्कूल थे, जिसमें से 21 सरकारी नॉर्मल स्कूल (18 पुरुषों के लिए एवं तीन महिलाओं के लिए) एवं शेष एक सहायता प्राप्त नॉर्मल स्कूल था, जो महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु था। वर्ष 1881 की जनगणना के अनुसार नॉर्थ वेस्टर्न प्रान्त के कुमायूँ डिविजन को छोड़कर प्रत्येक डिविजन में एक नॉर्मल स्कूल था। इनमें अध्यापकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। इन स्कूलों में ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, जो मिडिल क्लास वर्नाकुलर परीक्षा पास कर चुके होते थे और उन्हें ऐसे विषयों की अच्छी जानकारी होती थी जो उन्हें पढ़ाना होता था। ऐसे छात्रों को मुख्य रूप से केवल शिक्षण की कला में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी(पृ०106)।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है, जहां 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एवं नॉर्थ-वेस्टर्न और अवध प्रांतों में कंपनी सरकार द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों की आवश्यकता को महसूस तो किया जा रहा था किंतु इस हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस हेतु विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे नॉर्मल स्कूलों की स्थापना में तीव्र वृद्धि हुई। यह वृद्धि, वर्ष 1871-72 ई० तक अध्ययन में सम्मिलित सभी प्रांतों में देखी गई। इसके उपरांत नॉर्मल स्कूलों की स्थापना में लगातार कमी आई और 1881-82 तक इन प्रांतों में नॉर्मल स्कूलों की जो संख्या थी उसका विवरण निम्नलिखित है-

तालिका संख्या-1

1881-82 ई० में वर्नाकुलर अध्यापकों हेतु ट्रेनिंग स्कूलों का संख्यात्मक विवरण

क्र० सं०	प्रांत का नाम	पुरुषों हेतु ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या	महिलाओं हेतु ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या	कुल संख्या
1	बंगाल	20	2	22
2	मद्रास	28	4	32
3	बॉम्बे	7	2	9
4	नार्थ-वेस्टर्न एवं अवध	18	3	21

स्रोत- रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन-1882; पृ० 143.

उपरोक्त तालिका में हम यह देख सकते हैं, कि 19वीं शताब्दी के नौवें दशक तक इन प्रांतों में न केवल पुरुषों हेतु बल्कि महिलाओं के लिए भी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए गए थे। इन ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना में ब्रिटिश सरकार के साथ ही साथ स्थानीय सरकारें एवं निजी और मिशनरी संस्थाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी प्रयासों ने आने वाली शताब्दी में अध्यापक प्रशिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में विकास करने के लिए मजबूत आधारशिला का कार्य किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- दत्त, यू०सी० (1957). *एजुकेशनल सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश*. इलाहाबाद: द इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, पृ० 780.
- भारत सरकार (1962). *विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग*. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, पृ० 700.
- मुखर्जी, एस०पी० (1944). *एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया. द एन्नाल्स ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलीटिकल एंड सोशल साइंस*, 233, 30-38.
- नुरुल्लाह एवं नायक (1943). *हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इयूरिंग ब्रिटिश पीरियड*. बम्बई: मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, पृ० 643.
- रिचे, जे०ए० (1922). *सेलेक्शन फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, पार्ट 2 (1840-1859)*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 504.
- शार्प, एच० (1920). *सेलेक्शंस फ्रॉम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स पार्ट 1 (1781-1839)*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 225.
- रिक्टर, डी०डी० जु० (1908). *ए हिस्ट्री ऑफ मिशन इन इंडिया (एस०एच० मूरे, अनुवादक)*. न्यूयॉर्क: फ्लेमिंग एच० रीवेल कम्पनी, पृ० 469.
- सत्थीअनाधन, एस० (1894). *हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी*. मद्रास: श्रीनिवास वरदाचारी एण्ड कम्पनी, पृ० 295.
- नार्थ वेस्टर्न एण्ड अवध एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *द नार्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एण्ड अवध प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेन्स टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस टू द एजुकेशन कमिशन*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 491.
- ब०म्बे एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *ब०म्बे प्रोविंशियल कमेटी (खण्ड 1)*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 222.
- बंगाल एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *द बंगाल प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेन्स टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस टू द एजुकेशन कमिशन*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 416.
- मद्रास एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट (1884). *द मद्रास प्रोविंशियल कमेटी विथ एविडेन्स टेकन बिफोर द कमेटी एण्ड मेमोरियल एड्रेस टू द एजुकेशन कमिशन*. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पृ० 216.
- एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट (1883). *रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन-1882(भाग एक)*. कलकत्ता: मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, पृ० 350.